गढ़वाल क्षेत्र में पशुपालन और डेरी उद्योग के लिए विदेशी सहायता

4910. **प्रो० राम बख्श सिंह वर्मा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के गढ़वाल क्षेत्र में पशुपालन और डेरी उद्योग के लिए जिलावार कितनी विदेशी सहायता राशि उपलब्ध कराई गई ;

(ख) क्या वर्ष 1994–95 के लिए इन जिलों में पशुपालन और डेरी उद्योग के विकास हेतु विदेशी सहायता प्रदान की जाएगी ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) से (ग) संबंधित राज्य सरकार से जानकारी एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

तिलहनों के मूल्य में वृद्धि

4911. **प्रो०राम बख्श सिंह वर्मा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले तीन वर्षों की तुलना में वर्ष 1994–95 के दौरान तिलहनों के मूल्यों में भारी वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार तिलहनों के मूल्यों में भारी वृद्धि को रोकने के लिए कोई कदम उठाने पर विचार रखती है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) विगत तीन वर्षों की तुलना में तिलहन की कीमतों में वर्ष 1994–95 के दौरान हुई वृद्धि का ब्यौरा नीचे दिया गया है :–

वर्ष	थोक मूल्य सूचकांक (वार्षिक औसत)		विगत वर्ष की तुलना में प्रतिशत परिवर्तन (आधार–1981–82–100)	
	तिलहन	सभी जिन्स	तिलहन	सभी जिन्स
1991	227.8	201.4	25.5	13.6
1992	238.4	224.7	4.6	11.5
1993	222.7	242.1	(–) 6.5	7.7
1994	250.9	267.4	12.6	10.4

स्रोत : 1. अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि मंत्रालय ।
2. उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार ।

यह देखा जा सकता है कि तिलहनों की कीमतों में हुई वृद्धि, समग्र मुद्रास्फिति तथा सभी जिन्सो की कीमतों में हुई वृद्धि के अनुरूप है । चूंकि 1993 के दौरान तिलहनों की कीमतों में काफी गिरावट आई थी, वर्ष 1994–95 के दौरान तिलहनों की कीमतों में हुई वृद्धि बहुत अधिक प्रतीत होती है ।

(ग) और (घ) तिलहनो और खाद्य तेलो की कीमतो में वृद्धि को नियत्रित करने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोड को 20% के रियायती सीमा-शुल्क पर 3 लाख मीटरी टन खाद्य तेल के आयात की अनुमति दी है । इसके अलावा, नारियल के तेल, आरबीडी पाम आयल, आरबीडी पाम स्टियरीन तथा पाम कर्नेल आयल को छोड़कर अधिकांश खाद्य तेलों के आयात को 30% प्रभार पर सामान्य खुले लाइसेन्स के तहत लाया गया है जिससे कीमतों में और कमी आने की उम्मीद है ।